न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा , आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–10 / 2017

उनवानः–

1. भगवानसिंह | पुत्रगण रामखिलाडी जातिगण भोई निवासीगण
2. रमेश | ग्राम झौर तहसील व जिला धौलपुर
3. रतनसिंह |
4. निहालसिंह |

---बादीगण

बनाम

1. किशन सिंह | पुत्रगण पूरन | समस्त जातिगण भोई निवासीगण ग्राम झौर तहसील व जिला धौलपुर
2. संजय
3. बीरू
4. भारत
5. पीतम
6. महेन्द्र
7. आकाश
8. पूरन पुत्र बाबूलाल
9. तहसीलदार धौलपुर

--- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट

उपस्थिति – 1. श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव, एडवोकेट वादीगण की ओर से

दिनांक 28.10.2024

निर्णय

वादीगण की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी ख.नं. 113 रकवा 5 विस्वा, 114 रकवा 05 विस्वा, 115 रकवा 10 विस्वा, 118 रकवा 13 विस्वा, 119 रकवा 7 विस्वा, 120 रकवा 12 विस्वा, 123 रकवा 11 विस्वा, 124 रकवा 6 विस्वा, 126 रकवा 13 विस्वा 127 रकवा 7 विस्वा कुल किता 10 रकवा 4 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम झौर तहसील व जिला धौलपुर स्थित है। विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार वादीगण है इससे पूर्व वादीगण के पिता खातेदार काश्तकार थे। वादीगण विवादित आराजी पर अधिपत्य व स्वामित्व धारण करते हुए उसका उपयोग व उपभोग अपने पिता के समय से करते चले आ रहे है। वादीगण ने विवादित आराजी में काफी पैसा व मेहनत लगाकर फसल गेंहू पैदा की है। प्रतिवादीगण झगडालू व्यक्ति है। जिनकी आराजी वादीगण के अधिकार खातेदारी की भूमि से लगी है, जो अनाधिकृत रूप से वादीगण के स्वामित्व व अधिपत्य की आराजी पर अधिपत्य करना चाहते है जिसका उन्हे किसी भी प्रकार से वैधिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण को विवादित आराजीयात से किसी प्रकार का संबध सरोकार नही है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रतिवादीगण लटठ के जोर पर नाजायज तागत के आधार पर अनाधिकृत अतिक्रमण करना चाहते है तथा वादीगण द्वारा बोई हुई फसल को अनाधिकृत रूप से राजस्व कर्मचारियों से साज करते हुए उजाडना चाहते है जिसका उन्हे किसी भी प्रकार से अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक 03.12.2016 को वादीगण के अधिकार खातेदारी की आराजी पर अनाधिकृत अधिपत्य करने की धमकी देने पर वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकरण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। अतः दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे कि वे वादी गण के विवादित आराजी जिसको वर्णन वादपत्र की चरण संख्या 1 में किया गया है उस पर अनाधिकृत अधिपत्य ना करें वादीगण को बेदख लना करें तथा उनके कब्जे काश्त में विघ्न वाधा उत्पन्न न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा हेतु समय चाहा। बार–बार अवसर दिऐ जाने के बावजूद प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश नही किया गया। अतः प्रतिवादीगण का जवाब दावा का अवसर बन्द किया गया। दिनांक 30.08.2024 को प्रतिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य हेतु नकल जमाबन्दी खाता संख्या 49 ग्राम झोर संवत 2069–72 प्रदर्स–1 पेश की। वादी भगवानसिंह पीडब्ल्यू–1 का शपथ पत्र बावत मुख्य परीक्षण पेश किया एंव बयान दर्ज कराए।

विद्वान वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई एंव पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्स–1 जमाबंन्दी संवत 2069–72 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादीगण खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः बहस एकपक्षीय सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन कर मनन करने के उपरांन्त हम दावा वादी अंन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी ख.नं. 113 रकवा 5 विस्वा, 114 रकवा 05 विस्वा, 115 रकवा 10 विस्वा, 118 रकवा 13 विस्वा, 119 रकवा 7 विस्वा, 120 रकवा 12 विस्वा, 123 रकवा 11 विस्वा, 124 रकवा 6 विस्वा, 126 रकवा 13 विस्वा 127 रकवा 7 विस्वा कुल किता 10 रकवा 4 बीघा 9 विस्वा वाके ग्राम झौर तहसील व जिला धौलपुर में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप, विघ्न बाधा उत्पन्न नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)